

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/2304**of 18 अक्टूबर 2021**

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 को पूरक प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों के साथ निर्यात के उद्देश्य से पशु उत्पादों के जैविक उत्पादन में एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-उपयोग को प्रमाणित करते हैं

(ईईए प्रासंगिकता के साथ पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के संबंध में,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों के लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और 30 मई 2018 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 [\(1\)](#) और विशेष रूप से अनुच्छेद 44 (2) के संबंध में,

जबकि:

- (1) कुछ तीसरे देशों की आवश्यकता है कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन किया जाए। उन देशों में बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, संघ में ऑपरेटरों के समूह या ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के इच्छुक ऑपरेटरों को आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-उपयोग को साबित करने में सक्षम होना चाहिए।
- (2) विनियमन (ईयू) 35/2018 के अनुच्छेद 848 के अनुसार, सक्षम अधिकारियों या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, किसी भी ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह को एक प्रमाण पत्र प्रदान करना है जिसने अपनी गतिविधि को अधिसूचित किया है और उस विनियमन का अनुपालन करता है। यह प्रमाणित करने के लिए कि जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना किया जाता है, ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह को उन सक्षम अधिकारियों से अनुरोध करने की संभावना होनी चाहिए या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण अधिकारियों या नियंत्रण निकायों, एक पूरक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। उस पूरक प्रमाणपत्र के लिए मॉडल स्थापित किया जाना चाहिए।
- (3) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन (ईयू) 2018/848 के आवेदन की तारीख से लागू होना चाहिए,

इस विनियमन को अपनाया है:

लेख 1

निर्यात के उद्देश्य के लिए पशु उत्पादों के जैविक उत्पादन में एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-उपयोग को प्रमाणित करने वाला पूरक प्रमाण पत्र

एक ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह के अनुरोध पर जो पहले से ही विनियमन (ईयू) 35/2018 के अनुच्छेद 848 में संदर्भित प्रमाण पत्र के कब्जे में है, प्रासंगिक सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, प्रासंगिक नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, यह प्रमाणित करते हुए एक पूरक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि

ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह ने एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन किया है यदि निर्यात के उद्देश्य से इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है संघ के वे उत्पाद। उस पूरक प्रमाणपत्र के लिए मॉडल इस विनियम के अनुबंध में निर्धारित किया गया है।

लेख 2

बल और आवेदन में प्रवेश

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के तीसरे दिन लागू होगा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन अपनी संपूर्णता में बाध्यकारी होगा और सभी सदस्य राज्यों में सीधे लागू होगा।

ब्रसेल्स में किया गया, 18 अक्टूबर 2021।

आयोग के लिए

राष्ट्रपति

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

(1) [ओजे एल 150, 14.6.2018, पी।](#)

मिला लेना

निर्यात के उद्देश्य के लिए पशु उत्पादों के जैविक उत्पादन में एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-उपयोग को प्रमाणित करने वाला पूरक प्रमाण पत्र

1. दस्तावेज संख्या:	2. (उपयुक्त के रूप में चुनें) — संचालक — प्रचालकों का समूह
3. ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह का नाम और पता:	4. सक्षम प्राधिकारी का नाम और पता या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह का नियंत्रण निकाय और नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय के मामले में कोड नंबर:
5. उस विनियमन के अनुलग्नक VI के अनुसार विनियमन (ईयू) 35/2018 के अनुच्छेद 848 के अनुसार ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की दस्तावेज संख्या:	
यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करने के लिए जारी किया गया है कि ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह (उपयुक्त के रूप में चुनें) ने एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना निम्नलिखित जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन किया:	
1. 2. 3.	
6. तिथि, स्थान:	7. पूरक प्रमाण पत्र मान्य है..... [दिनांक डालें] से.....[दिनांक डालें]

जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी की ओर से नाम और हस्ताक्षर या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय:	
---	--